भारत सरकार
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त
महावीर नगर प्रथम, झालावाड रोड
कोटा– 324005 राजस्थान

फा0स0 I(22)-13/Adm/2013-　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक 15.02.2013

विज्ञप्ति

राजस्थान इकाई में अफीम फसल वर्ष 2012–13 के लिए विभिन्न अफीम तौल केन्द्रो जैसे झालावाड, निम्बाहेडा, सिंगोली"याम, भीलवाडा, चित्तौडगढ, छोटीसादडी एवं प्रतापगढ इत्यादि से अफीम गोदाम, चित्तौडगढ, नीमच फैक्ट्री (म0प्र0) में अफीम के कन्टेनरों को बंद ट्रकों द्वारा निर्देशानुसार सुरक्षित रूप से पहुचाने हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती है।

नियम एंव शर्ते

1. विभाग को 5 से 6 बंद ट्रको की आव"यकता होगी। ट्रक, ट्रबो 22 फीट लम्बाई का होना चाहिए, जो **पूरी तरह से बंद हो, जिसके दरवाजे पर ताला लगा कर सील किया जा सके**। ट्रक की टूट–फूट, रिपेयर की जिम्मेवारी स्वंय पार्टी की होगी।
2. निविदा में ट्रक किराया प्रतिदिन प्रति ट्रक एवं डीजल किलोमीटर/प्रति लीटर के अनुसार देना होगा। निविदा में प्रतिदिन किराये में सम्मिलित सर्विस टैक्स व अन्य टैक्स अलग–2 कर बताए। निविदादाता अपनी मोहर बंद निविदा इस कार्यालय में दिनांक **26.02.13** को दोपहर **18:00** बजे तक प्रस्तुत कर सकते है जिसे दिनांक 27.02.13 को, उपस्थित निविदादाताओ के समक्ष 11:00 बजे खोला जाएगा।
3. निविदादाताओ को प्रति निविदा के साथ धरोहर रा"ी के रूप में रूपये 25,000/– का बैंक ड्राफ्ट जो अधीक्षक (कार्यपालक) केन्द्रीय नारकोटिक्स व्यूरो, कोटा के नाम देय हो, संलग्न करना आव"यक है।
4. सभी केन्द्रों पर अफीम तौल कार्य एक साथ आरम्भ होगा, जो माह अप्रैल, 2013 के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होकर लगभग 20 दिनों तक चलेगा। दिनों की संख्या घट–बढ सकती है एवं अफीम तौल केन्द्र भी बदले जा सकते है। अफीम तौल कार्य आरम्भ होने की तिथि की सूचना फर्म को पूर्व में ही दे दी जायेगी।
5. रोड टैक्स एवं टोल टैक्स का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जायेगा, जिसका भुगतान मूल बिल प्रस्तुत करने पर विभाग से प्राप्त किया जा सकेगा।
6. नोडल बिन्दु कार्यालय जिला अफीम अधिकारी झालावाड, चित्तौडगढ –।।।, भीलवाडा, प्रतापगढ होगा। आपको सभी ट्रक आदे"ाानुसार कार्यालय जिला अफीम अधिकारी झालावाड, चित्तौडगढ–।।।, भीलवाडा, प्रतापगढ के अफीम तौल केन्द्र, झालावाड, निम्बाहेडा, सिंगोली"याम, भीलवाडा, प्रतापगढ एवं छोटी सादडी में निर्धारित समय एवं दिनांक पर आव"यक रूप से उपलब्ध करवाने होगे।
7. इस सम्बन्ध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए इस कार्यालय में 10.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है।
8. यदि निविदादाता द्वारा नि"चित समय तक ट्रक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, अथवा परिवहन के दौरान ट्रक खराब हो जाता है तो विभाग को यह अधिकार होगा कि वह कार्य निष्पादन हेतु किसी भी स्थानीय फर्म से ट्रक भाडे पर लेवे तथा इस संबंध में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा।
9. वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाईसेंस व वाहन का वैध रजिस्ट्रे"ान व इन्"योरेंस होना अनिवार्य है।
11. ट्रक का वाहन चालक व क्लीनर न"ो का आदी नही होना चाहिए।
12. फर्म द्वारा संतोषजनक कार्य न किए जाने की स्थिति में फर्म का भुगतान रोका जा सकता है/कटौती की जा सकती है एवं धरोहर रा"ी भी जप्त की जा सकती है।
13. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए रद्द किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा।
14. इस संदर्भ में कोई भी कानूनी कार्यवाही कोटा न्यायालय के अधीन होगी।
15. सर्वाधिकार अ़द्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होंगे।
16. उक्त निविदा इस विभाग की वेब साईट www.cbn.nic.in पर भी उपलब्ध है।

आज्ञा से
(सीताराम शर्मा)
उप नारकोटिक्स आयुक्त
कोटा, राजस्थान।